न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 179/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2023/555

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोदा जरिये प्रधानार्चाय रा0उ0मा0वि0 अरनोदा पं.सं. –निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)।

–प्रार्थी

//बनाम//

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।
2. ग्राम पंचायत अरनोदा जरिये सरंपच एवं सचिव अरनोदा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम– 1956</u>

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2–विपक्षी संख्या 1 स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 341 में स्थित स्थानीय विद्यालय परिसर के दक्षिणी भाग में वर्तमान में आबादी बसी होकर विद्यालय का कब्जा नहीं है तथा विद्यालय के पश्चिमी भाग में कुछ भाग पर आबादी के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु मौके पर विद्यालय की चारदिवारी बनी होकर विद्यालय के कब्जे में है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौका अनुसार रेकार्ड में शुद्धिकरण किया जावें

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट मय रेकार्ड प्रस्तुत की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम अरनोदा की आराजी नम्बर 341 [illegible]1 हैक्टेयर जो अबादी के नाम दर्ज रेकार्ड है में से 0.20 हैक्टेयर भूमि [illegible] चारदिवारी बनी हुई है एवं आराजी नम्बर 341 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.[illegible] हैक्टेयर भूमि पर आबादी बसी हुई है, जो विद्यालय के नाम दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट के साथ मौके अनुसार शुद्धिकरण हेतु प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 अरनोदा का प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत, अरनोदा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत अरनोदा का कोरम प्रस्ताव, एवं पटवार हल्का अरनोदा की जांच रिपोर्ट मय जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

प्रस्तुत किया है। तहीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार एवं मौके अनुसार आराजी नम्बर 341 के दक्षिण पश्चिम भाग की 0.20 हैक्टेयर भूमि को आबादी तथा आराजी नम्बर 341 विद्यालय के उत्तर पश्चिम भाग में लगे आराजी नम्बर 344 आबादी में से 0.20 हैक्टेयर भूमि को रा0उ0मा0वि0 अरनोदा के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत अरनोदा द्वारा उक्तानुसार संशोधन हेतु ग्राम पंचायत के कोरम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत अरनोदा को तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं इस हेतु ग्राम पंचायत अरनोदा द्वारा अनापत्ति प्रमाण'–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम अरनोदा की आराजी नम्बर 341 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि जो विद्यालय भवन के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें 0.20 हैक्टेयर भूमि पर आबादी बसी हुई है एवं ग्राम अरनोदा की आराजी नम्बर 344 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि आबादी के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें 0.20 हैक्टेयर भूमि पर विद्यालय की चारदिवारी बनी हुई है। प्रार्थी मौके अनुसार राजस्व रेकार्ड संशोधन करवाना चाहता है। विपक्षी नम्बर 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपने द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौके अनुसार ग्राम अरनोदा की आराजी नम्बर 341 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (भा.प्र.से.) निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

दक्षिण–पश्चिम भाग की 0.20 हैक्टेयर भूमि को आबादी तथा आराजी नम्बर 341 विद्यालय के उत्तर–पश्चिम भाग से लगी आराजी नम्बर 344 आबादी में से 0.20 हैक्टेयर भूमि को रा0उ0मा0वि0 अरनोदा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। वर्तमान मौका स्थिति अनुसार भूप्रबंधन के बाद तरमीम गलत की गई जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शे में, रकबे में कोई कमी पशी नहीं करते हुए मौके अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया है। विद्यालय की भूमि पर कुछ भाग पर आबादी एवं आबादी की भूमि पर कुछ भाग पर विद्यालय निर्मित हैं। विद्यालय की भूमि पर आबादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से विद्यालय की भूमि पर विकास कार्य प्रभावित हुए है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त मौके अनुसार प्रस्तावित नक्शा अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वकीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त सबूतों एवं राजस्व नक्शें में सही तरमीम हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा एवं विपक्षी द्वारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किये जाने से स्वीकार किया जाकर जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की आराजी नं0 341 रकबा 0.70 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 344 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि में संलग्न मौका अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम की जावें एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/12

रमेश सीरवी पुनाडिया,
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:32 IST
Reason: SelfAttested